

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर  
राजस्व प्रकरण संख्या 61/2019 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल  
राजस्थान सरकार जरिये  
पटवारी हल्का चैतरोड़ी  
बनाम श्री अर्जुन सिंह हमीर सिंह  
जाति राजपूत जिला चैतरोड़ी  
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की ओर से अनु. 1 पत्रावली को हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चैतरोड़ी में रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम दौलतपुरा के खसरा नंबर 1218 रकबा 309.04 बीघा में से 30 बीघा किस्म कुंजु जोन्दा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल को विरोध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिदगी नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उद्देश्य पूर्ण करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षर पचास रुपये के अंश में आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गडरारोड़ को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर उपरोक्त फसल को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एलन स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक महीने में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 18.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

(10/1)  
तहसीलदार गडरारोड़

जुगाना 50/- फसल नि. 8850/-  
कुल योग 2900/- जि.के पृष्ठ सं. 40  
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार